आदेश क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No. 28 of 2023

Dist.:- Patna

PRESENT :- Sri Chaitanya Prasad, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Subhash Chandra - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : - Sri Subhash Chandra, Assistant
For the Respondent : - Under Secretary, GAD

आदेश

22/05/2024

यह सेवा अपील वाद श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सहायक, गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक– 16/आ0–01–14/2022 सा0प्र0– 16213, पटना–15 दिनांक– 24.08.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर किया गया है।

श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सहायक, गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप इस प्रकार से हैं –

श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में प्रतिनियुक्ति के पश्चात् आयोग कार्यालय में माननीय अध्यक्ष (तत्समय रिक्त पद) के कुर्सी पर प्रतिदिन

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

बैठने एवं सोने तथा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, धौंस जमाने, धमकी देने इत्यादि से संबंधित कृत्य का आरोप है।

श्री चन्द्र द्वारा कनीय एवं सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, धौंस जमाने, धमकी देने इत्यादि गतिविधियों से कार्यालय का सामान्य शिष्टाचार एवं कार्य संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण उनकी सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को वापस की गयी।

श्री चन्द्र के उक्त कृत्य को अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक मानते हुए एवं उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गयी।

उक्त तथ्यों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक सं0–12911 दिनांक–10.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन में उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन के उपरांत उनको कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया गया था, साथ हीं बैठने के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिसके कारण राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (तत्समय रिक्त पद) का कक्ष जो वर्त्तमान् समय में काफी धूल भरा, अंधेरा युक्त तथा बिना बोर्ड/नेमपलेट की स्थिति में था, जिसमें सभी कर्मी एवं बाहरी लोग भी दिन भर यत्र–तत्र बैठकर समय व्यतीत करते थे। चूँकि अधोहस्ताक्षरी को कोई कार्य आवंटित नहीं था, तथा बैठने की स्थान चिन्हित नहीं होने के कारण कार्यालय परिसर में यत्र–तत्र बैठा करता था।

अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया कि एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तत्पश्चात् उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उन्हें अचेतावस्था में उठाकर एक कुर्सी पर बैठाया गया तथा पानी के छींटे मारे गये। होश में आने के उपरांत अपीलार्थी को महसूस हुआ कि वे किसी पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठे हैं। तदोपरांत अपीलार्थी तुरंत दूसरी

आदेश क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

कुर्सी पर बैठ कर आराम करने लगे। अचेतावस्था में किसी व्यक्ति द्वारा विद्वेष की भावना से तस्वीर खींच ली गयी, जिसे आरोप का भाग बनाया गया।

अपीलार्थी द्वारा पुनः उल्लेख किया गया कि आयोग के कतिपय कर्मियों द्वारा एक माहौल बना लिया गया था कि आयोग में किसी अन्य व्यक्ति को कार्यभारित नहीं होने दिया जायेगा। उसी क्रम में कतिपय कर्मियों द्वारा संयुक्त परिवाद दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी पर दुर्व्यवहार, धौंस जमाने, धमकी देने इत्यादि का आरोप लगाया गया। इस आयोग में पूर्व में भी एक अन्य सहायक श्री राज कुमार निराला के साथ भी ऐसा ही कृत्य किया गया था। श्री निराला एवं अपीलार्थी के उपर समान प्रकृति के आरोप का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि श्री विजय महतों, सहायक को बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में यथावत रखने के लिए श्री राजकुमार निराला, सहायक के उपर भी इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था, जिसकी पुनरावृत्ति अपीलार्थी के मामलें में भी की गयी। इसी के फलस्वरूप अपीलार्थी को कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था।

उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रतिवेदत आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में उपलब्ध कराये गये विभागीय मंतव्य में दंडादेश में शामिल अधिकांश तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं– श्री चन्द्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संलग्न साक्ष्य एवं श्री चन्द्र के बचाव अभिकथन दिनांक 25.07.2023 के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्री चन्द्र के अभिकथन में यह उल्लेख है कि उन्हें कार्य आवंटित नहीं होने एवं बैठने का स्थान भी चिन्हित नहीं होने के कारण कार्यालय में अन्यत्र तथा अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के कक्ष में बैठा करता था। आरोप के साथ संलग्न फोटोग्राफी के संबंध में भी श्री चन्द्र द्वारा अचेतावस्था में बैठे रहने का उल्लेख किया गया है। श्री चन्द्र के कुर्सी पर बैठने संबंधी तथ्यों की स्वीकारोक्ति एवं आरोप के साथ संलग्न फोटोग्राफी से स्पष्ट है कि श्री चन्द्र माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता था, जो कार्यालय प्रकृति के प्रतिकूल तथा अनुशासनहीनता का द्योतक है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

उक्त अनुशासनहीनता एवं गलत आचरण संबंधी प्रमाणित आरोप के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0– 16213 दिनांक– 24.08.2023 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र, तत्कालीन सहायक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सहायक, गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया।

विभागीय मंतव्य में श्री चन्द्र के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संलग्न साक्ष्य एवं श्री चन्द्र के बचाव अभिकथन दिनांक 25.07.2023 के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चन्द्र को कार्य आवंटित नहीं होने एवं बैठने का स्थान चिन्हित नहीं होने के कारण कार्यालय में यत्र–तत्र तथा अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के कक्ष में बैठने का उल्लेख किया गया है। साथ ही श्री चन्द्र के आयोग अध्यक्ष के कक्ष में बैठने संबंधी तथ्यों की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न फोटोग्राफ के आलोक में विभाग द्वारा श्री चन्द्र के माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने संबंधित आरोप को कार्यालय प्रकृति के प्रतिकूल तथा अनुशासनहीनता का द्योतक प्रतिवेदित किया गया है।

अपीलार्थी के लिखित बचाव अभिकथन एवं न्यायालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उनके विरूद्ध कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, धौंस जमाने, धमकी देने संबंधित प्रतिवेदित आरोप को अस्वीकार किया गया है, परंतु आयोग कार्यालय में माननीय अध्यक्ष (तत्समय रिक्त पद) कक्ष में कभी–कभार यत्र–तत्र बैठना स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी की माननीय अध्यक्ष कक्ष में यत्र–तत्र बैठने की स्वीकारोक्ति के आलोक में अपीलार्थी के माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रतिदिन बैठने एवं सोने संबंधित आरोपों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उक्त विभागीय मंतव्य एवं अपीलार्थी द्वारा समर्पित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कर्मियों से दुर्व्यवहार किया जाना एवं विभागीय आयोग के माननीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठना किसी भी सरकारी सेवक के कार्यालय संस्कृति के प्रतिकूल तथा अनुशासनहीनता

आदेश क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

का द्योतक है। इस संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा अधिरोपित दंड को समानुपातिक एवं उपयुक्त पाते हुए इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित
22/5/2024
(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

22/5/2024
(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।